न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/160

मिसल नम्बर–31/2025

1.डॉ0 अजय शर्मा पुत्र टीकमचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी न्यू पैलेस, न्यू रिसोर्ट, बैराज रोड, कोटा–राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.सीमोल मिनरल्स फैक्ट्री जरिये अधिकृत प्रतिनिधि पूरनचन्द जैन कार्यालय पता–गोपी प्लाजा, 284 शोपिंग सेन्टर कोटा।

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 18/7/2025

उपस्थितिः–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री नन्द सिंह हाड़ा, अधिवक्ता अप्राथी नं0 1।

3.सरकार पैरोकार,।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की कृषि आराजी ख0नं0 3/ 5 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का आलनिया तह0 लाडपुरा में स्थित है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी के समीपस्थ ख0नं0 3/3 की भूमि स्थित है जो प्रतिपक्षी संख्या 1 के खातेदारी की है, प्रार्थी के खाते की उपरोक्त आराजी व प्रतिपक्षी संख्या 1 की उपरोक्त वर्णित आराजी के मध्य मेड स्थित है तथा नक्शे में भी तरमीम हो रही है तथा उसी अनुरूप प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी अपनी आराजी पर मालिक व काबिज हैं प्रतिपक्षी संख्या 2 फोरमल पक्षकार होने की वजह से उन्हे पक्षकार संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया है। ग्राम भीमपुरा का तरमीम शुदा नक्शा कार्यालय से गुम हो जाने के कारण नया नक्शा बनाया गया है उसमें तरमीम नही हो पायी है जबकि तरमीम पुराने नक्शे में तरमीम है। उसी तरमीम अनुरूप प्रार्थी अपने खाते की आराजी पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 नये नक्शे में तरमीम नही होने के आधार पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 के मध्य उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होने लगा है। प्रार्थी ने इस संबंध में कई मर्तवा प्रतिपक्षी संख्या 2 के यहां आवेदन किया लेकिन उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई इसलियं प्रार्थी माननीय न्यायालय से अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी नही होने से अपनी कृषि आराजी को

न्यायालय ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विकसित करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की रिकॉर्डेड खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं0 3/5 रकबा 0.30 है0 आराजी की पैमाइश व सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के रेकॉर्डेड खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 3/5 रकबा 0.30 है.0 वाके ग्राम भीमपुरा में स्थित आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का आलनिया के ख0नं0 3/3 प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते दर्ज होना एवं काबिज होना स्वीकार है। प्रतिपक्षी द्वारा अपनी 500 गुणा 266 भूमि पर पक्की बाउन्डीवाल निर्माण करवा रखा है। प्रतिपक्षी क्रम 1 का प्रार्थी से कोई विवाद नही है, ना ही सीमा सम्बंधित विवाद कभी हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी क्रम 1 का जवाब रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भीमपुरा के खसरा नं0 3/5 रकबा 0.30 है0 भूमि खातेदार डा0 अजय शर्मा पुत्र टीकमचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पैलैस न्यू रिसोर्ट बैराज रोड़ कोटा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि पुराना राजस्व नक्शा लट्ठा गुम हो जाने पर नवीन नक्शा तैयार किया गया था जिसमें वादी अजय शर्मा के खसरा नं0 3/5 रकबा 0.30 है0 तथा प्रतिवादी सिमोल मिनरल फेक्ट्री के खसरा नं0 3/3 रकबा 0.97 है0 भूमि की तरमीम नहीं हो रही है। तथा विभिन्न पटवारीयो एवं अन्य से प्राप्त पुराने नक्शे की प्रमाणित प्रति की कॉपी अनुसार खसरा नं0 3/5 रकबा 0.30 है0 की तरमीम हो रही थी।

बाद रिपोर्ट दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का बाद अवलोकन प्रकरण में सीमाओं के विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढी किया जाना अति–आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिससे मौके की शांति व्यवस्था भी बनी रहें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकार किया गया है कि पुराने नक्शे की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों में खसरा नं0 3/5 की तरमीम हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का आलनिया के ग्राम भीमपुरा में स्थित खसरा नं. 3/5 रकबा 0.30 हैं0 की प्रमाणित प्रति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 18/7/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा